order Sheet [Contd] ·

УОФО 96 /12-5PZ

te of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Fleaders where necessa

12-17-16

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधिक श्री राच्या कि काल व्यवस्थित । जिस्से ।

प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवदता सहित एक आवेदन पेश कर ोवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा दिद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेत् पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

साम्य क्रेमंड - ।

डी०सी०थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०–19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

स्तिम्युव्याव - 2

गिहिंद, जिला भिण्ड

Coo